न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2015 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. श्री कला पिता श्री माना भील निवासी सादेड़ा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सेतु पिता श्री लीमजी भील निवासी सादेड़ा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्रीमान् भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला
कलक्टर बांसवाड़ा दिनांक 24–08–2015 प्रकरण
संख्या 04/2014

————/————

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अब्दुल रज्जाक अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– राजकीय अधिवक्ता

आ दे श **दिनांक 20–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी के विरूद्ध नियम–14 (4) भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970) के तहत एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सादेड़ा की आराजी नंबर 13/1 रकबा 2.7 एकड़ किस्म मगरी भूमि का आवंटन दिनांक 18–6–1992 को विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट को किया गया। उक्त आवंटन नियम विरूद्ध बिना कब्जे के तथा कब्जा प्रार्थी का होना तथा स्वयं का कब्जा 50 वर्ष से ज्यादा पुराना होना, आवंटी का भूमिहीन नहीं होना, पटवारी की रिपोर्ट गलत होना, कोरम पूरा नहीं होना,

उद्घोषणा जारी नहीं होना, इत्यादि बताते हुए विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

आवंटी रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर वर्ष 1992 से उसका कब्जा निरन्तर होने, आंवटन विधिवत होने तथा प्रार्थी के समस्त तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा दस्तावेजी साक्ष्य व बहस का विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय दिनांक 24–8–2015 से अपीलान्ट प्रार्थी का आवेदन खारिज कर रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी को किये गये आवंटन को बहाल रखा। अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 24–8–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–10–2015 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट आवंटी की और से अधिवक्ता श्री अब्दुल रज्जाक ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये बिना, कब्जे की जांच करवाये बिना, कोरम के तथ्यों को नजर अन्दाज कर आवेदन खारिज किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि नियम–14 (4) भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970) के तहत आवंटन खारिज किये जाने का प्रमुख आधार आवंटन विधि विरूद्ध होने अथवा मिस–रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड से आवंटन करवाने अथवा आवंटन शर्तो की

पालना नहीं किये जाने या आवंटन रिपोर्ट विधि विरूद्ध होने के आधार पर आवंटन खारिज किये जाने का प्रावधान है।

अपीलान्ट द्वारा प्रमुखतया यह आवेदन स्वयं का पुराना अतिक्रमण होने के आधार पर आवंटन के 22 वर्षो बाद यह आवेदन पेश किया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि को आवंटन या नियमन करवाये जाने का कोई आवेदन पेश किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट आवेदक का पुराना कब्जा होकर नियमन योग्य प्रकरण हो ऐसी भी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर R.R.D. 1992 पेज 266 अनुसार तकनीकी आधारों पर खारिज नहीं किये जाने के तथा अतिक्रमित भूमि के अनाधिवासित भूमि ही माने जाने के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है, जो इस प्रकरण से सुसंगत है। प्रथम दृष्टया तो अपीलान्ट के नियमन की पात्रता की साक्ष्य नहीं है, दूसरे अतिक्रमी का कोई लोकस स्टेण्डाई भी नहीं होता। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर R.R.T 2007 (2) पेज 1443 पेश की है। जिससे आवंटन में कोई छल–कपट नहीं होने तथा आवंटन के 40 वर्षो बाद आवंटन निरस्त नहीं करने के न्यायिक दृष्टांत वर्णित किये गये है, जो इस प्रकरण से सुसंगत है।

प्रकरण में उद्घोषणा नहीं होने की कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं की गई है। आवंटी के 15 एकड़ से अधिक भूमि होने बाबत् भी कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा ही पेश शुदा आवंटन कार्यवाही विवरण में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, विधायक तथा प्रशासक ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर उपलब्ध है। तद्नुसार उक्त आवंटन में कोरम बाबत् आपत्ति मान्य नहीं है। अपीलान्ट पेश शुदा न्यायिक नजीर R.R.T 2014 (2) पेज 797 जो कोरम से संबंधित है। इस प्रकरण पर लागू नहीं होती, क्योंकि यहां कोरम पूर्ण होना प्रकट होता है। अपीलान्ट को आवंटित भूमि की किस्म मगरी है, परन्तु उस पर काश्त होना भी प्रकट आता है। अपीलान्ट अतिक्रमी होना जाहिर करता है, परन्तु अतिक्रमी का कोई लोकस नहीं होता। प्रकरण में आवंटन फ्रॉड या मिस–रिप्रजेन्टेशन से होने का कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है। आवंटी ने शर्तो की पालना नहीं की हो ऐसा भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है। आवंटन के

22 वर्षो बाद आधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आवंटन निरस्तीकरण के आवेदन को खारिज किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24–8–2015 को यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर